न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

मु.न. 187/2015

उनवान

1. शंकरलाल
2. सन्तोष देवी
3. शिम्भू देवी
4. मनभरी देवी
5. चौथी देवी
6. पांची देवी
7. भग्गी देवी
8. नन्छी देवी
9. गुड्डी देवी

} पिता स्व0 अर्जुनलाल

10. श्रीमती कमली देवी पत्नी अर्जुन
11. लालचन्द पुत्र स्व0 रामचन्द्र
12. बाली देवी
13. सोनी देवी
14. धापा देवी
15. प्रेम देवी
16. छोटी देवी

} पिता स्व0 रामचन्द्र

समस्त जाति माली निवासी पांच्या वाली ढाणी, वार्ड नम्बर 2 चौमूं तहसील चौमूं जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र श्री श्योनारायण यादव, जाति अहिर निवासी राधास्वामी बाग, जैतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. रामकिशोर पुत्र जाति अहीर निवासी ग्राम लोहरवाडा तहसील चौमूं।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 06.01.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वादीगण वाके पांच्या वाली ढाणी, वार्ड नम्बर 2 कस्बा चौमूं तहसील चौमूं के पुश्तैनी रूप से रहने वाले हैं, तथा वादीगण की खातेदारी भूमि उपरोक्त पते पर स्थित है। वादीगण एवं अन्य खातेदार की शामलाती खातेदारी भूमि वाके ग्राम चौमूं पटवार हल्का चौमूं–ए तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 757 जिसके आराजी खसरा नम्बर 2264 रकबा 0.02 है0, कुल किता 1 का कुल रकबा 0.02 है0 भूमि स्थित हैं, उक्त भूमी ही इस वाद पत्र में विवादग्रस्त है, जिसके आगे के मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है।

उक्त भूमि विवादग्रस्त में हिस्सा 2/21 भाग की खातेदारी वादीगण संख्या 1 ता 10 के नाम दर्ज हैं, तथा हिस्सा 4/7 भाग की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण संख्या 11 ता 15 के नाम से दर्ज हैं, शेष हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार अन्य खातेदारान का निहित हैं, तथा वादीगण ही अपने हिस्से की भूमि के एकमात्र मालिक स्वामी हैं, तथा अपने हिस्से मे आई भूमि के चारो तरफ पुख्ता तारबन्दी कर सीमाये महदूद कर रखी हैं, तथा उक्त विवादग्रस्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।

Scanned with CamScanner

वादीगण दिनांक 04.08.2015 को अपने भूमि विवादग्रस्त पर कुएं के पास काम कर रहे थें। उसी समय प्रतिवादीगण संख्या 1 एंव 2 अपने साथ भारी मात्रा में कारीगर मजदुर लाकर वादीगण के कुए के दक्षिणी तरफ स्थित भूमि विवादग्रस्त की सींवडोल को फोडकर अन्दर वादीगण की खातेदारी भूमि में बिना किसी हक अधिकार के नींव खोदकर निर्माण कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। जब वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को ऐसा करने से मना किया तथा कहा की उक्त भूमि से तुम्हारा कोई लेना देना नही है। उक्त भूमि हमारी खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 नही माने तथा ऐलानिया धमकी दी की उक्त भूमि विवादग्रस्त सम्पूर्ण पर हम जबरन कब्जा करके अपनी भूमि में मिलाकर उक्त भूमि पर प्लोटिंग कर कब्जा करके रहेंगे एंव जबरन लठ के बल पर बेदखल करके ही दम लेंगे तुम्हे करना हो से करलों। इस कारण वादीगण को उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त में ना ही अनाधिकृत रूप से प्रवेश करे, ना ही खाम या पुख्ता निर्माण करे, ना ही कब्जा करे, ना ही उक्त कृषि भूमि को अकृषि कार्यो में परिवर्तित करें, ना ही वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में बाधा कारित करें, ना ही वादी के कब्जे में दखल कारित ना ही प्रतिवादीगण उक्त कृत्य स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमेन के जरिये करवाये।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकलन किया गया। नकल जमाबन्दी के अनुसार वादीगण विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकार प्राप्त है। लिहाजा वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाकर तहसीलदार चौमूं को निर्देशित किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 757 जिसके आराजी खसरा नम्बर 2264 रकबा 0.02 है0 ग्राम चौमूं पटवार हल्का चौमूं–ए तहसील चौमूं जिला जयपुर का प्रार्थी के आवेदन पर सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान के चिन्हों का प्रतिवादीगण अतिक्रमण नही करें। तथा साथ ही प्रतिवादीगण को इस बाबत सक्त पाबन्ध किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.03.05 16:10:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: